राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3479/2024

1. राजेश पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीलाल पाठक, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी शहीद चौक, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा।

2. संजय पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीलाल पाठक, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी शहीद चौक, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा।

3. शकुंतला पत्नी स्वर्गीय श्री बंशीलाल पाठक, उम्र लगभग 77 वर्ष, निवासी शहीद चौक, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अब्बास अली पुत्र फकरुद्दीन बोहरा, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी कुटबी कॉलोनी, भोपालपुरा रोड, बोहरवाड़ी, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा।

2. शब्बीर हुसैन बोहरा पुत्र याह्या हुसैन, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी बोहरा कॉलोनी, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा।

3. अकिला बाई पत्नी अब्बास अली बोहरा, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी कुटबी कॉलोनी, भोपालपुरा रोड, बोहरवाड़ी, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा।

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सौरभ माहेश्वरी।

प्रतिवादी के लिए: श्री हर्षित भूरानी।

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति नूपुर भाटी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

07/05/2024

1. यद्यपि मामले को नई श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, तथापि, पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर मामले की सुनवाई आज ही की जा रही है।

2. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दीवानी वाद संख्या 166/2022 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाड़ा द्वारा पारित दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक 5) के विवादित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके तहत तीसरे प्रतिवादी द्वारा आदेश I नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन जिसमें उसे मुकदमे में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी, को स्वीकार कर लिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं/वादी ने विद्वान जिला न्यायाधीश, भीलवाड़ा के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 और 2/प्रतिवादियों के खिलाफ एक वाद (अनुलग्नक 1) दायर किया, जिसे मूल दीवानी वाद 166/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ राहत भीलवाड़ा के बड़ला चौराहा के पास शास्त्रीनगर में स्थित प्लॉट संख्या 93 और 94 के संबंध में मांगी गई थी। वाद में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि अविभाजित वाद संपत्ति साझेदारी फर्म मेसर्स मोती मेटल इंडस्ट्रीज के पास संयुक्त रूप से है, जिसके आरंभ में साझेदार श्री बिहारीलाल पाठक, मोतीलाल और बंशीलाल पाठक थे। यह भी आरोप लगाया गया कि श्री बंशीलाल पाठक की मृत्यु हो गई और इस प्रकार, उनकी पत्नी और बेटे को साझेदार के रूप में पेश किया गया और याचिकाकर्ता स्वर्गीय श्री बंशीलाल पाठक के कानूनी प्रतिनिधि भी हैं।

4. वाद दायर करने का आधार यह था कि 02.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 और 2/प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं की भूमि पर अतिक्रमण किया और बेसमेंट का निर्माण शुरू कर दिया और जब याचिकाकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी मिली तो याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से शीर्षक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा, हालांकि, प्रतिवादियों ने इनकार कर दिया और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रश्नगत संपत्ति पर बिजली कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया।

5. प्रतिवादी सं.1 और 2/प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं/वादी द्वारा दायर मुकदमे का उत्तर क्रमशः 24.11.2022 और 25.01.2023 को दाखिल किया (अनुलग्नक 3 और 4)। प्रतिवादी सं.1/प्रतिवादी ने इसमें कहा कि उसका संपत्ति और अतिक्रमण से कोई संबंध नहीं है और विचाराधीन संपत्ति पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं.2 ने इसमें कहा कि प्लॉट सं.94 को प्रतिवादी सं.1 की पत्नी को 15.10.2015 को बेच दिया गया है और इस प्रकार अब प्रतिवादी सं.2 का विचाराधीन संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। 6. मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में उसे पक्षकार बनाने के लिए आदेश । नियम 10 सीपीसी के तहत दिनांक 04.02.2023 (अनुलग्नक 4) को एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि विवादित भूखंड पर उनका स्वामित्व और कब्जा है।

7. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक 5) के आदेश द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसे तत्काल रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

8. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ विद्वान सिविल न्यायाधीश सह न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष सिविल मुकदमा संख्या 289/2023 'राजेश बनाम अकीला बाई' के रूप में एक मुकदमा पेश किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को 01.12.2023 को समन जारी किए गए थे, जैसा कि मुकदमे की प्रति, आदेश पत्र और ई कोर्ट केस की स्थिति से स्पष्ट है। (क्रमशः अनुलग्नक 6,7 और 8)।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 4.08.2023 (अनुलग्नक 5) का आरोपित आदेश अवैध रूप से और मनमाने ढंग से पारित किया गया है और ट्रायल कोर्ट मामले के साक्ष्य और तथ्यों और कानूनों की सराहना करने में विफल रहा है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ मुकदमे के निर्णय के लिए न तो आवश्यक था और न ही उचित पक्ष था और कार्रवाई का कारण भी उनके खिलाफ था, न कि प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 साझेदारी फर्म से संबंधित भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के अलावा और कुछ नहीं है और याचिकाकर्ता भागीदार हैं, इसलिए ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ कार्रवाई के कारण को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट आवेदक-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर शीर्षक के दस्तावेजों पर विचार करने में विफल रहा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा संलग्न शीर्षक दस्तावेज पंजीकृत नहीं हैं और एक अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर, संपत्ति पर शीर्षक और कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता है।

11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि डोमिनस लिटिस के सिद्धांत के अनुसार वादी लिस का स्वामी होने के नाते कानूनी कार्रवाई शुरू करता है और कार्यवाही पर उसका पूरा नियंत्रण होता है कि किसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए और किसके खिलाफ राहत मांगी जानी चाहिए और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी है, हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देकर डोमिनस लिटिस के सिद्धांत के खिलाफ चला गया है।

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ प्लॉट संख्या 93 और 94 के लिए मुकदमा दायर किया गया है क्योंकि वे विवादित संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे थे और ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि विचाराधीन संपत्ति साझेदारी फर्म की अविभाजित संपत्ति है, हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट यह देखने में विफल रहा है कि आवेदक-प्रतिवादी संख्या 3 मुकदमे का आवश्यक पक्ष नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन (सिविल अपील संख्या 1598/2023) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया; मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स एंड ऑर 2010(4) सीसीसी 294(एस.सी) में रिपोर्ट किया गया।

13. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि ट्रायल कोर्ट ने आवेदक-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर आवेदन को सही रूप से स्वीकार किया है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 एक आवश्यक पक्ष है और विवादित संपत्ति पर उसका स्वामित्व और कब्जा है, क्योंकि प्लॉट संख्या 93 को साझेदारी फर्म मोती मेटल इंडस्ट्रीज और मेसर्स नसरुद्दीन ब्रदर्स द्वारा 30.12.1980 को ताराचंद पुत्र लाडकमल सिंधी को 2500/- रुपये की राशि के बदले बेचा गया था और उसके बाद ताराचंद ने उक्त प्लॉट को 01.08.1991 को प्रतिवादी संख्या

3 को बेच दिया और इसी प्रकार प्लॉट संख्या 94 को भी उपरोक्त साझेदारी फर्मों द्वारा 30.12.1980 को गोवर्धनदास पुत्र श्री वधूमल सिंधी को 2500/- रुपये की राशि के बदले बेचा गया था और उसके बाद गोवर्धनदास ने इसे 23.10.2001 को शब्बीर हुसैन को बेच दिया। शब्बीर ने इसे 15.10.2010 को प्रतिवादी संख्या 3 को 2,50,000/- रुपये की राशि के बदले में बेच दिया और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा प्रतिवादी संख्या 3 के पास है, इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 लंबित मुकदमे में एक आवश्यक पक्षकार थी क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा, वह प्रतिवादी संख्या 3 के अधिकारों को प्रभावित करेगा और इस प्रकार उसे मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में सही रूप से शामिल किया गया है।

14. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ विद्वान सिविल न्यायाधीश सह न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष एक अलग मुकदमा भी दायर किया है (सिविल मुकदमा संख्या 289/2023: राजेश बनाम अकिला बाई), जो स्वयं साबित करता है कि प्रतिवादी संख्या 3 मुकदमे में एक आवश्यक पक्षकार है और यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके अधिकार प्रभावित होंगे। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

अपने तर्कों के समर्थन में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रमेश हीरानंद कुंदनमल बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जो (1992)2 एससीसी 524 में रिपोर्ट किया गया था।

15. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है; रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।

16. इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ताओं/वादीगण ने स्वयं प्रतिवादी/प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद संख्या 289/2023 (सुप्रा) दायर किया है, जो कि विचाराधीन भूखंडों के संबंध में भी विषय वस्तु है तथा उक्त वाद संबंधित न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। इस न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती अकीला बाई ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उन्होंने बिक्री के लिए अनुबंधों के माध्यम से क्रमशः श्री ताराचंद और शब्बीर से भूखंड संख्या 93 और 94 खरीदे थे, जो इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर रखे गए हैं, इसलिए यदि कोई निर्णय उनके लिए हानिकारक होता है, तो उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्हें वाद में अपनी बात कहने का अधिकार है तथा उन्हें सही तरीके से पक्षकार बनाया गया है।

17. इस न्यायालय ने यह भी पाया कि वाद अभी प्रारंभिक चरण में है और यदि प्रतिवादी सं. 3 को वाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ताओं/वादी को कोई पूर्वाग्रह या कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वाद में पारित निर्णय से प्रतिवादी सं. 3 के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं प्रतिवादी सं. 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया है, और उक्त वाद में शामिल संपत्ति भी वही है, इसलिए, प्रतिवादी सं. 3 स्पष्ट रूप से वाद में एक उचित और आवश्यक पक्ष है और कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए उसे वाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करना सही है। अन्यथा भी, प्रतिवादी सं. 2/प्रतिवादी ने लिखित बयान में प्रस्तुत किया है कि उन्होंने विचाराधीन भूखंड श्रीमती को बेचे थे। अकिला बाई (प्रतिवादी सं. 3), हालांकि बिक्री के समझौतों के तहत, इस प्रकार प्रतिवादी सं. 3 को कम से कम

मुकदमे में अपनी बात रखने का अधिकार है और उसे सही ढंग से पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि वह आदेश I नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार एक आवश्यक और उचित पक्ष है। इसके अलावा डोमिनस लिटिस का सिद्धांत यहां लागू नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट को उन पक्षों को हटाने या जोड़ने का अधिकार है जिनकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि वह आदेश I नियम 10 (2) में उल्लिखित मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से न्यायनिर्णय और निपटाने में सक्षम हो सके। सीपीसी के आदेश I नियम 10 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> आदेश I वादों के पक्षकार
>
> 10. गलत वादी के नाम पर वाद.-
>
> (1) जहां कोई वाद गलत व्यक्ति के नाम पर वादी के रूप में संस्थित किया गया है या जहां यह संदेह है कि यह सही वादी के नाम पर संस्थित किया गया है या नहीं, वहां न्यायालय वाद के किसी भी चरण में, यदि वह संतुष्ट हो कि वाद सद्भावपूर्ण भूल के कारण संस्थित किया गया है और विवाद में वास्तविक मामले के निर्धारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित या जोड़ने का आदेश ऐसी शर्तों पर दे सकता है, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।
>
> <u>(2) न्यायालय पक्षकारों को काट सकता है या जोड़ सकता है। न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना, तथा ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हों, आदेश दे सकता है कि अनुचित रूप से सम्मिलित किसी भी पक्षकार का नाम, चाहे</u>

वह वादी हो या प्रतिवादी, काट दिया जाए, तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे सम्मिलित किया जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में सम्मिलित सभी प्रश्नों पर प्रभावी रूप से तथा पूर्ण रूप से निर्णय करने तथा निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, जोड़ा जाए।

(3) किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अनुगामी मित्र के मुकदमा करने वाले वादी के रूप में या किसी असमर्थता के अधीन वादी के अनुगामी मित्र के रूप में उसकी सहमति के बिना नहीं जोड़ा जाएगा।

(4) जहां प्रतिवादी जोड़ा गया है, वहां वादपत्र संशोधित किया जाएगा। जहां प्रतिवादी जोड़ा गया है, वहां वादपत्र को, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी रीति से संशोधित किया जाएगा जैसा कि आवश्यक हो, और समन और वादपत्र की संशोधित प्रतियां नए प्रतिवादी को और यदि न्यायालय ठीक समझे तो मूल प्रतिवादी को तामील की जाएंगी।

(5) 1 [भारतीय सीमा अधिनियम, 1877 (1877 का XV)] की धारा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही समन की तामील पर ही आरंभ हुई मानी जाएगी।

18. यह न्यायालय यह भी मानता है कि प्रतिवादी संख्या 3 को प्रतिवादी के रूप में सही ढंग से शामिल किया गया है क्योंकि उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमे की कार्यवाही में याचिकाकर्ता के खिलाफ राहत पाने का अधिकार है

और प्रतिवादी संख्या 3 की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है और वह कस्तूरी बनाम अय्यम्परूमल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दो परीक्षणों के अंतर्गत आती है, जिसकी रिपोर्ट (2005) 6 एससीसी 733 में दी गई है। निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> "7. हमारे विचार में, इस प्रावधान को पढ़ने मात्र से, अर्थात्, आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) सीपीसी का दूसरा भाग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में आवश्यक पक्ष अनुबंध के पक्षकार हैं या यदि वे मर चुके हैं, तो उनके कानूनी प्रतिनिधि और वह व्यक्ति भी जिसने विक्रेता से अनुबंधित संपत्ति खरीदी थी। इक्विटी के साथ-साथ कानून में, अनुबंध अधिकारों का गठन करता है और पक्षों की देनदारियों को भी नियंत्रित करता है। एक क्रेता एक आवश्यक पक्ष है क्योंकि वह प्रभावित होगा यदि उसने अनुबंध की सूचना के साथ या उसके बिना खरीदा था, लेकिन एक व्यक्ति जो विक्रेता के दावे के विपरीत दावा करता है, वह आवश्यक पक्ष नहीं है। उपरोक्त से, अब यह स्पष्ट है कि यह निर्धारित करने के लिए दो परीक्षण संतुष्ट होने हैं कि कौन आवश्यक पक्ष है। परीक्षण हैं - (1) कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए; (2) ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती।

इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल कुमार बनाम शिव नाथ के मामले में 1995 (3) एससीसी 147 में आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधानों पर विचार करते हुए रिपोर्ट दी कि हालांकि न्यायालय के पास अनुचित तरीके से शामिल किसी पक्ष का नाम हटाने या आवेदन पर या किसी भी पक्ष के आवेदन के बिना किसी पक्ष को जोड़ने की शक्ति हो सकती है, लेकिन पूर्व शर्त

यह है कि न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि ऐसे पक्ष की उपस्थिति आवश्यक होगी ताकि न्यायालय मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय ले सके और उनका निपटारा कर सके, जबकि नियम का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को रिकॉर्ड पर लाना है जो विषय वस्तु से संबंधित विवाद में पक्षकार हैं ताकि विवाद का निर्धारण उनकी उपस्थिति में एक ही समय में बिना किसी विलंब, असुविधा के किया जा सके और कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 (10) एससीसी 408 में रिपोर्ट किए गए "असम राज्य बनाम भारत संघ" मामले में भी माना कि एक आवश्यक पक्ष वह है जिसके बिना कोई आदेश प्रभावी रूप से नहीं दिया जा सकता है और एक उचित पक्ष वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा सकता है लेकिन कार्यवाही में शामिल प्रश्नों के पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है।

19. एक सामान्य नियम के रूप में, आवेदक सूचनादाता डोमिनस लिटिस है और उसे कार्यवाही को नियंत्रित करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही, ऐसे आवेदक को उन सभी अन्य पक्षों को सूचित करना आवश्यक है जिनके खिलाफ आवेदक आगे बढ़ना चाहता है और मामले की जांच करने के बाद, अदालत को ऐसे पक्ष को अभियोग लगाने का निर्देश देने का विवेकाधिकार है और ऐसा निर्णय आदेश 1 नियम 10 की कसौटी पर लिया जाना चाहिए जो प्रदान करता है कि एक आवश्यक पक्ष जोड़ा जा सकता है।

20. इस न्यायालय की राय में, ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक 5) के आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, जिसमें आदेश I नियम 10 सीपीसी के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है, इस प्रकार यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को नहीं दर्शाता है।

21. परिणामस्वरूप, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। स्थगन याचिका भी खारिज की जाती है।

(डॉ. नूपुर भाटी), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।